समाचार-प्रकाशनार्थ:-

झोन प्रभारी करण चौहान निलंबित
स्वास्थ्य अ धकारी ए.पी. संह को कारण बताओ सूचना पत्र

रतलाम 13 सतम्बर । नगर निगम के झोन क्रमांक 2 के प्रभारी श्री करण चौहान व स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी श्री चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कया व स्वास्थ्य अ धकारी श्री संह को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कया।
वार्ड क्रमांक 38 स्थित मोचीपुरा नाले की जल निकासी को सुचारू बनाने हेतु वार्ड के सफाई संरक्षक श्री संजय-साजन को बिना सुरक्षा उपकरण नाले में उतारने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी श्री करण चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कया व स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 3 दिवस में समक्ष में स्पष्टिकरण चाहा है। झोन प्रभारी श्री चौहान का निलंबत काल में मुख्यालय जुलवानिया ठोस अप शष्ट प्रसंस्करण केन्द्र रहेगा।

डेंगू के लार्वा पाये जाने पर 21 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

रतलाम 13 सतम्बर । डेंगू की रोकथाम हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा व डयो कान्फ्रेंस में दिये निर्देश के तहत त्वरित कार्यवाही कये जाने हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा दल गठित कये जाकर घर-घर सर्वे कया जाकर डेंगू के लार्वा पाये जाने पर संबं धतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पीएनटी कालोनी व मीरा कुटी क्षेत्र में सर्वे के दौरान डेंगू के लार्वा पाये जाने पर वनोद कुमावतए दुर्गाबाई व संजय रावत पीएनटी कालोनी पर 500.500ए चुन्नीलालए देवप्रकाशए कन्हैयालालए बी.एन. शर्माए जबर खानए अफार

खानए साजिदा अलीए अब्दुल शकुरए नोलकेजीए राकेन्द्र मरकामए वरेन्द्रए आ फन जी पीएनटी कालोनीए महादेवीए अरातीजीए गो वन्द रामए सोनीबाईए अ खलेश व राधेश्याम मीरा कुटी पर 250.250 रूपये का स्पॉट फाईन झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े द्वारा कया गया।

नगर निगम व मलेरिया वभाग द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क वे मच्छर जनित डेंगूए मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपासए गड्ढो में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी निय मत रूप से बदलेए पानी की टं कयां े को खुला ना छोड़ेंए खुले मटकेए ड्रमए टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां-वहांए नाले-ना लयों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ-स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

13 सतम्बर को 90 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 13 सतम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टे्रं चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 13 सतम्बर सोमवार को 90 टन कचरा जुलवानिया टे्रं चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

13 सतम्बर सोमवार को डम्पर व टे्रक्टर से 47685ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 24720ए काम्पेक्टर गीला 18480 कलो इस तरह कुल 90885 कलो कचरा जुलवानिया टे्रं चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के कनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की रा श होगी वसूल

रतलाम 13 सतम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के कनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबं धतों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की रा श वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्दे शत कया है शहर की मुख्य सड़कों के कनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर 13 सतम्बर सोमवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन की जाये व संबं धतों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की रा श वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है क वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉ गंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 13 सतम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉ गंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।
निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया क शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार फॉ गंग मशीन प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉ गंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया वभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05::30 से 08::00 बजे तक व शाम को 06::00 से रात 10::00 बजे तक कया जा रहा है साथ ही

प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

1128 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
पथ वक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 13 सतम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सद्धी वशेष अ भयान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु रा श रूपये 10ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2694 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कये गये है जिसमें से 1395 आवेदन स्वीकृत कये जा चुके है तथा 1105 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द् वतीय कार्यशील पूंजी हेतु रा श रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत कये जा चुके है तथा 23 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ वक्रेताओं से अपील की जाती है क जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी रा श रूपये 10ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द् वतीय कार्यशील पूंजी रा श रूपये 20ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए

अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।
ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 13 सतम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिशठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 सतम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संब धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संब धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त

कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 सतम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/13ण्09ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.